

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी

जनपद- इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, जालौन, रायबरेली, ललितपुर, फर्रुखाबाद एवं झांसी।

पत्रांक- एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी/PBS/2018-19/6634-8 दिनांक 17.9.2018

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदवार मदवार धनराशि स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हेतु भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में 10 जनपदों हेतु रु0 1167.96 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा-

Sl. No.	Name of districts	Staff Nurse @ 18000/PM for each PHC	Training for Universal Screening for NCDs (Rs. 19750/S.C.)	Procurement for Universal Screening of NCDs @ .24 laacs/S.C.	Drugs & supplies for Universal Screening of NCDs 65% Coverage in all districts (Rs. 14000/S.C.)	IEC/BCC for Universal NCD Screening (Rs. 5000/S.C.)	ASHA Incentive @ Rs. 10 for CBAC FOR 50% POPULATION OF MORE THAN 30 YRS.	ASHA Incentive @ Rs. 100 for Screening & Follow up for 10 % of population of more than 30 yrs.	Total
	FMR	8.1.1.2	9.5.19.3	6.1.2.6.a	6.2.19.6	11.22.3	3.1.1.5.2		
1	Allahabad	32.40	-	-	23.10	8.25	27.54	10.19	101.48
2	Farrukhabad	56.16	-	-	26.88	9.60	34.88	12.90	140.42
3	Gorakhpur	32.40	-	-	18.48	6.60	20.54	7.60	85.62
4	Jalaun	64.80	-	-	40.04	14.30	31.26	11.57	161.97
5	Jhansi	77.76	-	-	45.64	16.30	36.97	13.68	190.35
6	Lalitpur	49.68	-	-	27.72	9.90	22.60	8.36	118.26
7	Raebareli	105.84	-	-	45.78	16.35	63.00	23.31	254.28
8	Varanasi	12.96	-	-	10.78	3.85	17.01	6.29	50.89
9	Fatehpur	-	16.00	19.44	11.34	-	-	-	46.78
10	Shrawasti	-	6.12	7.44	4.34	-	-	-	17.90
	Total	432.00	22.12	26.88	254.10	85.15	253.80	93.91	1,167.96

3. धनराशि की स्वीकृति मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/ मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी कार्यक्रम/ मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग ई-मेल द्वारा प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन के Annexure 4 के अनुसार ही किया जायेगा। सुलभ संदर्भण हेतु आपरेशनल गाइडलाइन का Annexure 4 पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5. भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या की 37 प्रतिशत जनसंख्या, जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर की होगी, की स्क्रीनिंग की जायेगी।

6. कार्यक्रम से आच्छदित उक्त 10 जनपदों में निम्न तालिका के अनुसार उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये हैं-

Name of Districts	No. of PHC	No. of SC
Allahabad	15	165
Farrukhabad	26	192
Gorakhpur	15	132
Jalaun	30	286
Jhansi	36	326
Lalitpur	23	198
Raebareli	49	327
Varanasi	6	77
Fatehpur	0	81
Shrawasti	0	31
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>1,815</b>

7. जनपदों की राज्य स्तरीय TOT सम्पन्न करायी जा चुकी है, जनपद स्तर का प्रशिक्षण शीघ्र संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

8. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की अनुमति के बिना कदाति न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जायें। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है। तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्रांक- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी/PBS/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०सी०डी०सी०एस०, महानिदेशालय, लखनऊ।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

8. महप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 वेबसाइट-[www.upnrhm-gov-in](http://www.upnrhm-gov-in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।

/

(डा0 ए0 बी0 सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी

जनपद- इलाहाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, जालौन, रायबरेली, ललितपुर, फर्रुखाबाद एवं झांसी।

पत्रांक- एस0पी0एम0यू0/एन0सी0डी/PBS/2018-19/

दिनांक 17.9.2018

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदवार मदवार धनराशि स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पापुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग हेतु भारत सरकार द्वारा कार्ययोजना वर्ष 2018-19 में 10 जनपदों हेतु रु0 1167.96 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. अतः उक्त के क्रम में निम्नलिखित तालिका के अनुसार जनपदों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा-

Sl. No.	Name of districts	Staff Nurse @ 18000/PM for each PHC	Training for Universal Screening for NCDs (Rs. 19750/S.C.)	Procurement for Universal Screening of NCDs @ .24 lacs/S.C.	Drugs & supplies for Universal Screening of NCDs 65% Coverage in all districts (Rs. 14000/S.C.)	IEC/BCC for Universal NCD Screening (Rs. 5000/S.C.)	ASHA Incentive @ Rs. 10 for CBAC FOR 50% POPULATION OF MORE THAN 30 YRS.	ASHA Incentive @ Rs. 100 for Screening & Follow up for 10 % of population of more than 30 yrs.	Total
	<b>FMR</b>	<b>8.1.1.2</b>	<b>9.5.19.3</b>	<b>6.1.2.6.a</b>	<b>6.2.19.6</b>	<b>11.22.3</b>	<b>3.1.1.5.2</b>		
1	Allahabad	32.40	-	-	23.10	8.25	27.54	10.19	101.48
2	Farrukhabad	56.16	-	-	26.88	9.60	34.88	12.90	140.42
3	Gorakhpur	32.40	-	-	18.48	6.60	20.54	7.60	85.62
4	Jalaun	64.80	-	-	40.04	14.30	31.26	11.57	161.97
5	Jhansi	77.76	-	-	45.64	16.30	36.97	13.68	190.35
6	Lalitpur	49.68	-	-	27.72	9.90	22.60	8.36	118.26
7	Raebareli	105.84	-	-	45.78	16.35	63.00	23.31	254.28
8	Varanasi	12.96	-	-	10.78	3.85	17.01	6.29	50.89
9	Fatehpur	-	16.00	19.44	11.34	-	-	-	46.78
10	Shrawasti	-	6.12	7.44	4.34	-	-	-	17.90
	<b>Total</b>	<b>432.00</b>	<b>22.12</b>	<b>26.88</b>	<b>254.10</b>	<b>85.15</b>	<b>253.80</b>	<b>93.91</b>	<b>1,167.96</b>

3. धनराशि की स्वीकृति मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/ मद में धनराशि आवंटित की गई है उसी कार्यक्रम/ मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जायें।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग ई-मेल द्वारा प्रेषित आपरेशनल गाइडलाइन के Annexure 4 के अनुसार ही किया जायेगा। सुलभ संदर्भण हेतु आपरेशनल गाइडलाइन का Annexure 4 पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

5. भारत सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अन्तर्गत जनपद की कुल जनसंख्या की 37 प्रतिशत जनसंख्या, जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर की होगी, की स्क्रीनिंग की जायेगी।

6. कार्यक्रम से आच्छदित उक्त 10 जनपदों में निम्न तालिका के अनुसार उपकेन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किये गये हैं-

Name of Districts	No. of PHC	No. of SC
Allahabad	15	165
Farrukhabad	26	192
Gorakhpur	15	132
Jalaun	30	286
Jhansi	36	326
Lalitpur	23	198
Raebareli	49	327
Varanasi	6	77
Fatehpur	0	81
Shrawasti	0	31
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>1,815</b>

7. जनपदों की राज्य स्तरीय TOT सम्पन्न करायी जा चुकी है, जनपद स्तर का प्रशिक्षण शीघ्र सपन्न कराना सुनिश्चित करें।

8. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की अनुमति के बिना कदाति न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जायें। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है। तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

/  
(पंकज कुमार)  
मिशन निदेशक  
तददिनांक


6634-8(9)

पत्रांक- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/PBS/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ० प्र० शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ, उ०प्र०।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, एन०पी०सी०डी०सी०एस०, महानिदेशालय, लखनऊ।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
6. सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
7. सम्बन्धित मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

8. महप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 वेबसाइट-[www.upnrhm.gov.in](http://www.upnrhm.gov.in) पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।



(डा0 ए0 बी0 सिंह)

उपमहाप्रबन्धक, एन0सी0डी0